सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल
पत्रकार कालोनी, लिंक रोड नम्बर **-3**, भोपाल
ई-मेल dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/ सामा**0**सहा**0-02**ब**/I/774266/2026** भोपाल दिनांक **30-01-2026**

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।

समस्त संयुक्त संचालक/ उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण,
मध्यप्रदेश ।

विषय **:-** समग्र पेंशन पोर्टल पर आधार e-KYC हेतु शेष पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराने के संबंध में ।

संदर्भ **:-** म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का पत्र क्रं./**98/2025/26-2** पत्र क्रं. दिनांक **27/01/2025**, क्रमांक/**1/407440/2025/26-2**, दिनांक **01.08.2025**, संचालनालय का पत्र क्रं./सामा**0** सहा**0-02**ब/**1/444238/2925** , **19.08.2025**, दिनांक **02**ब/**1/486251/2025** दिनांक **09/09/2025**, सा. सहा. **02**ब/**2025/1/528715/2025** दिनांक **30/09/2025**, क्रं./सा. सहा. **02**ब/**2025/1/571962/2025** दिनांक **29/10/2025** एवं क्रमांक/ सा. सहा. **02**ब/**2025/1/554776/654698/2025** दिनांक **08/12/2025**

----0----

कृपया विषयांकित संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें ।शासन द्वारा समग्र पोर्टल पर आधार e-KYC हेतु शेष रहे पेंशन हितग्राहियों की आधार e-KYC कराये जाने हेतु SOP दिनांक **27.01.2025** को जारी गई थी । विभागीय पत्र क्रमांक/**I/407440/2025/26-2**, दिनांक **01.08.2025** में दिनांक **31/08/2025** तक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के समस्त पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी की कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं तदउपरांत जिन पेंशन हितग्राहियों की आधार ई-केवायसी नहीं होगी, उन पेंशन हितग्राहियों की पेंशन को होल्ड कर दिये जाने का लेख किया गया था।

उपरोक्तानुसार **31** अगस्त **2025** में स्थिति में जिन पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी नहीं हो सका है, उन हितग्राहियों की पेंशन को होल्ड कर दिया गया एवं दिनांक **09/09/205** को जारी पत्र में जिन पेंशन हितग्राहियों की पेंशन को होल्ड किया गया है, उनका सत्यापन **30/11/2025** तक करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिलों से प्राप्त अनुरोध पर विभागीय पत्र क्रमांक/सा.सहा.**02**ब/**2025/1/554776/654698 /2025** दिनांक **08/12/2025** द्वारा पेंशन हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन करने की समय-सीमा को **31** दिसंबर, **2025** तक बढ़ाया गया एवं लेख किया गया था कि भौतिक सत्यापन हेतु शेष रहे होल्ड प्रकरणों का सत्यापन **31** दिसंबर, **2025** तक कराकर पेंशन पोर्टल पर सत्यापन की स्थिति अपडेट करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त क्रम में कृपया अवगत हो कि म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPSEDC) द्वारा समग्र पोर्टल पर आधार **e-KYC** करने की सुविधा में आ रही तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

अतएव एम.पी.एस.ई.डी.सी. द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले निराकरण उपरांत समस्त ऐसे हितग्राही जिनका भौतिक सत्यापन में समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी नहीं हो सका है, उनका समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी कराया जावे, तद्उपरांत उक्त पेंशन हितग्राहियों की पेंशन का एरियर्स राशि सहित भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। कृपया अवगत हों

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

DR SHRAVAN KUMAR PACHAURI

Digitally signed by
Dr Shravan Kumar Pachauri
Date: 30-01-2026 11:22:45

DEPUTY DIRECTOR

(डॉ. श्रवण कुमार पचौरी)

उप संचालक

वास्ते आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन

सशक्तिकरण, म.प्र.

पृ0 क्रमांक/ सामा0सहा0-02ब/I/774266/2026 भोपाल दिनांक **30-01-2026**

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. प्रबंध संचालक एम.पी.एस.ई.डी.सी. मध्यप्रदेश, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी मध्यप्रदेश ।
6. समस्त आयुक्त, नगर निगम, म.प्र.।
7. वरिष्ठ तकनीकी संचालक (पेंशन पोर्टल), एन.आई.सी., म.प्र.।
8. पी.आर.ओ., माननीय मंत्रीजी सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, म.प्र. की ओर आवश्यक प्रचार-प्रसार हेतु ।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.।
10. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद, म.प्र.।
11. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

DEPUTY DIRECTOR

उप संचालक

वास्ते आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण,

म.प्र.